झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

रांची, दिनांक 14 नवम्बर, 2005

संख्या-77वि.वि.सं.-03-97/2005 का. 3890 सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम, 2005
(2005का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखंड सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) नियम, 2005 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
(3) यह सम्पूर्ण राज्य में प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएं – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) 'अधिनियम' से, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;
(ख) 'धारा' से, उक्त अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
(ग) अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3ण धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए कोई अनुरोध, दस रूपये का आवेदन फीस के साथ होगा, जो समूचित रसीद के विरुद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्रॉफट या बैंकर चैक के रूप में होगी, जो लोक प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगी।

3. धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के विरूद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्रॉफट या बैंकर चेक के रूप में होंगी जो लोक प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगी:–

(क) तैयार किये गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक (ए–4 या ए–3 आकार) कागज के लिए <u>दो रूपये;</u>

(ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत कीमत;

;गद्ध नमूनो या माडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत; और

;घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए,पहले घंटे के लिए कोई फीस नहीं; और उसके पश्चात प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके भाग) के लिए पांच रूपये की फीस।

4. धारा की उप धारा (5) के किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस, निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के विरूद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्रॅाफट या बैंकर चेक के रूप में होगी जो लोक प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगीः–

;कद्ध डिस्केट या फ्लापी, में सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रति डिस्केट या फ्लापी, पचास रूपये; और

;खद्ध मुद्रित प्रारुप में दी गई सूचना के लिए, ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति के प्रति पृष्ठ के लिए दो रूपये।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

(मुखत्यार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–/वि॰ वि॰ सं॰–03–97/2005का॰ 3890/ रांची, दिनांक–14 नवंबर, 2005

प्रतिलिपि– झारखंड सचिवालय मुद्रणालय डोरण्डा, रांची को झारखंड राजपत्रके आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–7/वि॰ वि॰ स॰–03–97/21005का॰ 3890/ रांची, दिनांक–14नवम्बर,2005

प्रतिलिपि– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी निगम/निकाय/उपकम/गैर सरकारी संस्थाएं को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।